


प्रारूप-दो
(देखिए नियम 3¹(6))
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र



रजिस्ट्रीकरण क्रं. 09

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956/ छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961
और उसके अन्तर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, ¹ (निर्वन्धन) तथा
शर्तें) नियम, ¹ (1998) के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री/श्रीमती/मेसर्स तनु कंसुमेश
आत्मज श्री देवतनु चक्रवर्ती ए।ओ. श्री आर. सी. चक्रवर्ती
निवासी रायपुर मोहल्ला E-11 - सेक्टर-2
ग्राम/वार्ड अवन्ति विहार नगर रायपुर
तहसील रायपुर जिला रायपुर

का एतद् द्वारा कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण किया जाता है :-


1. यह पंजीयन नगर के निवेश क्षेत्र/पंचायत क्षेत्र/नगर पालिका क्षेत्र तक के लिए है,
2. प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी स्थापना की सूचना कालोनाईजर को कालोनी स्थापना के पूर्व देना होगा,
3. प्रत्येक कालोनी के लिए विकास अनुमति/विकास कार्यों को प्रारंभ करने की अनुमति अलग से प्राप्त करना होगी।

सील

स्थान कुम्हारी

दिनांक 13/11/2009

टीप :- कालोनी की स्थापना, विकास कार्य, कालोनी में भूखण्डों / भवनों का आबंटन या आबंटन करने के करार करने की पात्रता तब ही होगी जब कालोनी के विकास की अनुमति नियमानुसार प्राप्त कर ली जाती है।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद कुम्हारी

कार्यालय नगर पालिका परिषद कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

फोन नं. 07821-247255,

Email - cmokumhari@gmail.com

कं./ 56 / रा.वि./ 2015

कुम्हारी, दिनांक 26/02/2015

प्रति,

मेसर्स तनु कंस्ट्रक्शंस
श्री देवतनु चक्रवर्ती
पिता आर.सी.चक्रवर्ती
अवंति विहार ई-11 सेक्टर-2
रायपुर

विषय :- कालोनाईजर पंजीयन नवीनीकरण हेतु ।
संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 20.01.2015

--:00:--

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालानाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के नियम 3 (4) के तहत मेसर्स तनु कंस्ट्रक्शंस श्री देवतनु चक्रवर्ती पिता आर.सी.चक्रवर्ती अवंति विहार रायपुर (छ.ग.) के नाम कालोनाईजर पंजीयन कं. 09, दिनांक 18.11.2009 हैं। यह नवीनीकरण 17.11.2019 तक मान्य हैं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद कुम्हारी